संक्षिप्त

देसूला बना भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव

अलवर । राजस्थान के अलवर जिले की देसूला ग्राम पंचायत ने इतिहास रच दिया है। जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला के नेतृत्व में 'सबको बीमा अभियान 2047 के तहत देसूला को भारत का पहला ऐसा गाँव घोषित किया गया है, जहाँ हर नागरिक बीमा सुरक्षा कवच के अंतर्गत होंगे। यह पहल सामाजिक सुरक्षा और जनसहभागिता का प्रेरणादायक उदाहरण है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. संजीव कुमार दास ने बताया कि देसूला का नाम भारत के मानचित्र पर सुरक्षित और आत्मनिर्भर गाँव के रूप में अंकित हुआ। गाँववासियों के लिए यह गौरवशाली क्षण है, जब वे अपने गाँव को भारत का पहला पूर्ण बीमित गाँव घोषित होते देख रहे है। यह पहल अन्य ठाम पंचायतों के लिए आदर्श मॉडल साबित होगी। उन्होंने बताया कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि जिला कलक्टर के निर्देशन में महीनों की योजनाबद्ध तैयारी, सटीक समन्वय और सामाजिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। 12 अगस्त 2025 को देसूला में विशेष जनआधार-आधारित सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसमें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की टीमों ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और ग्राम सचिवों के सहयोग से घर-घर जाकर सभी परिवारों का विवरण संकलित किया।

नवीन भवनों की स्वीकृति जारी

पावटा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की छः ग्राम पंचायतों में विधायक कुलदीप धनकड़ की अनुसंशा पर पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के नवीन भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए स्वीकृति जारी हो गई। इनमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की छः ग्राम पंचायत तालवा, निंझर, ढाणी गैसकान, तेवड़ी, चौबाला, रामपुरा में पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के नवीन भवन के लिए स्वीकृति हुई है। गौरतलब है कि फिलहाल कई पशु चिकित्सा उपकेंद्र ठाम पंचायत भवन या अन्य भवनों में एक-एक कमरे में चल रहे हैं। जिसे देखते हुए विधायक कुलदीप धनकड़ द्वारा पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए भूमि व भूमि का पट्टा उपलब्ध है उसका विवरण मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भिजवाया गया था। जिस पर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा व पशु पालन व डेयरी विभाग मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की ठाम पंचायतों पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के नवीन भवनों के लिए स्वीकृति जारी की है। जिसके लिए विधायक कुलदीप धनकड़ ने मुख्यमंत्री व पशु पालन व डेयरी विभाग मंत्री का आभार जताया।

रक्तदान शिविर

टोंक। ब्रह्माकुमारीज टोंक के राजयोग भवन में 24 अगस्त, रविवार को विश्व बंधुत्व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के अनेक मानव कल्याणकारी संगठन सहभागिता निभा रहे है। ब्रह्माकुमारीज प्रभारी ब्रह्माकुमारी अपर्णा ने बताया कि ब्रह्माकुमारीज संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी प्रकाशमणि की 18वी पुण्य स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस दिवस पर संस्थान द्वारा पूरे भारत में रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय सेवा केंद्र राजयोग भवन टोंक में भी 24 अगस्त रविवार को रक्तदान शिविर लगाया।

तिरंगा रैली निकालकर पांचवें दिन खैरथल में बाजार खुले

खैरथल। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलने व मुख्यालय को शिफ्ट किए जाने की सरकार की योजना के विरोध में 4 दिन से लगातार खैरथल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले खैरथल बंद के तहत पांचवें दिन गुरुवार को खैरथल बचाओ आंदोलन के अंतर्गत खैरथल के मान और स्वाभिमान को लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया।

रैली के उपरांत खैरथल बचाओ संघर्ष समिति के आवाहन पर पांचवें दिन बाजार खोले गए। साथ ही घोषणा की गई

■ **लड़ाई खत्म होने तक धरना जारी रहेगा**

कि जब तक जिला मुख्यालय खैरथल में ही रहेगा यह स्थिति साफ नहीं होती है तब धरना जारी रहेगा। बाईक तिरंगा रैली का शुभारंभ सुबह 9 बजे बिजली घर चौराहे पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई। तिरंगा रैली में डीजे पर देश भक्ति गानों व रैली में बाइक पर सवार तिरंगा लेकर निकले खैरथल वासी भारत माता के जयकारों के साथ शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए निकले और रेलवे फाटक के समीप समापन कर सभा को खैरथल बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक व संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश रोघा ने व्यापारियों का आभार व्यक्त किया और कहा व्यापारियों ने पूर्णता बंद रखकर संगठित और एकता का परिचय दिया है। संघर्ष समति के संयोजक ओमप्रकाश रोघा ने कहा यह लड़ाई किसी एक कि नहीं है हम सबकी है और लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जिला मुख्यालय खैरथल में ही रहेगा यह स्थिति साफ नहीं हो जाती है। इस दौरान किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया, रोहताश चौधरी, शिवचरण गुप्ता पंकज रोघा, गिरीश डाटा, विक्की चौधरी ने भी संबोधित किया और कहा खैरथल के साथ अन्याय नहीं होने देंगे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े उन्होंने कहा खैरथल सहित आसपास के क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है और वह खैरथल के साथ है। खैरथल बचाओ संघर्षसमति के बैनर तले गुरुवार सुबह 9 बजे संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, विक्की चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी एवं खैरथल वासी बिजली घर चौराहे पर एकत्रित हुए। भगत सिंह की मूर्ति पर माला पहनाकर तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत की।

खैरथल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले तिरंगा बाईक रैली निकाली गई।

गुर्जर समाज ने युवक की हत्या को लेकर धरना दिया

युवक की हत्या के विरोध में गुर्जर समाज ने हत्यारों को गिरफ्तार करने सहित पांच मांगों को लेकर धरना देकर जाम कर दिया।

टोंक । बरोनी थाना क्षेत्र के सोहेला हाईवे पर करीब 11 माह पहले हुई युवक की हत्या को लेकर गुर्जर समाज ने हत्यारों को गिरफ्तार करने सहित पांच मांगो को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाकर हाईवे पर धरना देकर जाम कर दिया। इस दौरान उन्होने बताया कि युवक की हत्या कर शव फोरलेन के पास फेंकने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर ग्रामीणो ने पुलिस द्वारा कोई समाधान नहीं होने धरना दिया, जिसकी सूचना पर टोंक पुलिस के एडिशनल एसपी बृजेन्द्र सिंह भाटीव वृताकिधारी राजेश विद्यार्थी और पीपलू उपखण्ड गनराज बड़गोती सहित पुलिस बल ने ग्रामीणो से वार्ता कर उन्हे समझाकर कार्यवाही करने तथा उनकी मांगो को मानने के आश्वासन पर शाम को ग्रामीणो ने आंदोलन स्थगित चेतावनी दी कि दो माह में जांच पूरी कर हत्यारे नहीं पकड़े तो आंदोलन किया जायेगा।

भरतपुर में 9 साल बाद अपना घर आश्रम में जीवित मिली महिला

भरतपुर (निस)। अपना घर आश्रम में 9 साल बाद एक महिला का अपने परिजनों से मिलन हुआ है. छत्तीसगढ़ निवासी महिला तारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गलत ट्रेन में बैठकर परिजनों से बिछुड़ गई.परिजनों ने महिला को काफी तलाशा लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलने के कारण मृत मान पति ने दूसरी शादी कर ली.9 साल पहले इस महिला को हिंडौन से भरतपुर अपना घर आश्रम में गर्भावस्था में भर्ती कराया गया.यहां इनका उपचार हुआ और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, तारा के स्वास्थ्य में सुधार होने पर आश्रम की पुनर्वास टीम ने उनके परिजनों से संपर्क किया. परिजनों को महिला के जीवित होने की सूचना मिलते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा.बेटा,दामाद और भाई महिला को लेने अपना घर आश्रम पहुंचे.जहां महिला को अपने परिवार के साथ भेज दिया गया। अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि अपना घर आश्रम में 9 साल पूर्व बिछडी तारा का अपने बेटा, दामाद व भाई से मिलन हुआ है .बात उस समय की है जब तारा अपने गांव नौरंगपुर से नजदीकी लगने वाले मेले को देखने आई वहीं से मानसिक संतुलन खोने की वजह से गलत ट्रेन में बैठ गई और घर नहीं पहुंच पाई। मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा गर्भावस्था के दौरान 27 मार्च 2016 को करौली जिले के पुलिस थाना सदर, हिण्डौन से सेवा,उपचार एवं पुनर्वास हेतु अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया था। तभी से इनका उपचार जारी था ।

सर्पदंश से 9 वर्षीय बच्ची की मौत

पावटा। उपखंड क्षेत्र के ग्राम बुचारा में मंगलवार को सर्पदंश से एक बच्ची की मौत हो गयी। उसकी पहचान शिवानी 9 वर्षीय पुत्री ख्यालीराम मीणा निवासी बुचारा मीणा का बास ढाणी के रूप में हुई। ज्योंकि कक्षा तीन में अध्ययनरत थी। घटना मंगलवार शाम की है जब बच्ची घर पर बैठी थी।

इसी दौरान सर्प ने डस लिया। बच्ची ने स्वयं इस बात की जानकारी परिजनों को दी। सर्प काटने के बाद बालिका के परिजन उसे चोटक्या स्थित हिरामल मंदिर झाड फूक कर जहर उतरवाने पहुंचे, जहां हिरामल के गोठियों द्वारा झाडा देकर बालिका को ठीक करने का प्रयास किया गया। बुधवार की सुबह बच्ची की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई।

जनसुनवाई में आये 51 प्रकरणों पर चर्चा

कोटपूतली । राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित कर उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 51 प्रकरण प्राप्त हुये। जिला कलक्टर ने विभागवार लंबित परीवादों की समीक्षा करते हुये मौके पर ही अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर कहा कि सम्पर्क पोर्टल, जनसुनवाई एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा के भीतर किया जायें, ताकि आमजन को राहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि 07 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण कर पोर्टल पर अपडेट करें, अधिकारी राज्य सरकार की मंशानुरूप इस कार्य को प्राथमिकता से लेंवे, कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों से आमजन के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ सुनने और आपसी समन्वय से आमजन के हितार्थ कार्य करने, आमजन के साथ कुशल व सभ्य व्यवहार करने को कहा। साथ ही कहा कि अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्यो की मॉनिटरिंग करें व निचले स्तर तक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में अपने अधीनस्थों के माध्यम से मौके पर ही परिवादियों की समस्या को सुनकर तुरन्त समाधान के प्रयास करें। जनसुनवाई के दौरान अवैध खनन और अवैध शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी को त्वरित कार्यवाही करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस दौरान जिले के समस्त उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। जनसुनवाई में जिला कलक्टर ने पेंशन, अतिक्रमण, रास्ता, सड़क, पट्टा, सफाई, विद्युत, पेयजल, भुगतान सहित अन्य प्राप्त प्रकरणों को धैर्यपूर्वक सुनकर नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में एडीएम ओमप्रकाश सहारण, एसडीएम बृजेश चौधरी, एएसपी वैभव कुमार शर्मा, आयुक्त धर्मपाल जाट सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खोया पाया

राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मकान नंबर 73/136 के लिए जारी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज दिनांक 22 जुलाई 2025 को कहीं गुम हो गए है। किसी को मिले तो सूचित करें। सरोज गुप्ता, पत्नी अशोक गुप्ता 73/40 देवकी पथ मानसरोवर जयपुर। मोबाइल-9829030229

मेरे भूखण्ड सं- 132 गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना लायन्स लेन सिरसी रोड जयपुर का समिति से जारी मूल सोसाइटी रसीद कही गुम हो गई है सूचित करेः उस्ताद मोईनुद्दीन खान मो. 9414338077

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत एडीजे नं. 11, जयपुर महानगर, जयपुर
सुमन देवी बाबत् मदनमोहन व अन्य दावा बाबत् कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 132/23

बनाम्
मुसम्मी फूला देवी वल्द स्व. श्री गोपाल लाल कौम माली साकिन शनि मंदिर के पीछे सांगानेर परगना थाना सर्किल सांगानेर, जयपुर

चूंकि सुमन देवी ने इस अदालत में तारिख... माह....सन् 199 को 1. सुमन देवी बनाम् 2. मदन मोहन व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि गोपाल लाल मजकूर के दरख्वासत अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी 2/1 गोपाल लाल मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तुआ की है बजाय उसके आप 3. 2/1 विधिक उतराधिकारी बनाया जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1..... 30 माह 8 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारिख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फेसल किया जावेगा। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारिख20.08.2025 सन् को जारी किया गया।

रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-11, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर
मोहर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनूसूची संख्यांक 4
न्यायालयः श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-11 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
महेश जाजपुरा विरुद्ध आकाश लुहाडिया व अन्य वाद / प्रार्थना पत्र (TI) (CMC)
प्रार्थना पत्र संख्या-31/23

नाम :- उर्मिला अग्रवाल पनि सतीश कुमार अग्रवाल जाति महाजन पता-268 गायत्री नगर प्रथम, दुर्गापुरा जयपुर

उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...

अतः अपाको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि-28. माह 8 सन् 2025 को 10 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगें तो उक्तआदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा

यह आज ता. 5 माह 8 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-11 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

सार्वजनिक आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य महेंद्र सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री भगवान सिंह शेखावत निवासी मकान न. 87- शिवपुरी, आर्य नगर मुरलीपुरा जयपुर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र धीर सिंह, पुत्रवधु श्रीमती संजू कंवर, और उसके दोनों जायदा पुत्रों को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से वंचित और बेदखल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, संस्था और अन्य द्वारा किसी भी संव्यवहार के लिये मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सूचित रहें।
दिनांक-21/08/25 विजय सिंह चौधरी (एडवोकेट), मो.8875641778

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण रतन लाल पुत्र मोहरीलाल, उम्र 60 वर्ष व नाथी पत्नी श्री रतन लाल, उम्र 50 वर्ष, निवासीयान - प्लाट नम्बर ए-07, श्री श्याम विहार विस्तार, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाड़ा, जयपुर के पुत्र राजेन्द्र कुमार जाट व पुत्रवधु रचना मेरे अभिभाष्यगण के कहने मे नहीं है तथा इनका मेरे अभिभाष्यगण के प्रति क्रुरतापूर्ण एवं आक्रमक व्यवहार है। अतः मेरे अभिभाष्यगण उन्हे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्तियो से बेदखल करते है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था उक्त लोगो से संयुक्त अथवा पृथक कोई संव्यवहार करता है तो इस हेतु मेरे अभिभाष्यगण का कोई उत्तरादायित्व नही होगा।
जयपुर जितेन्द्र अरोडा, एडवोकेट
दिनांकः मो.-9828156272

आम सूचना
मैं कि चरनदास पुत्र स्व० श्री परभाती जाति हरिजन आयु 74 साल निवासी हरिजन बस्ती, कुम्हेर गेट, भरतपुर-राज० का हूं। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरा नाती विशाल पुत्र प्रमोद जाति हरिजन आयु 24 साल निवासी हरिजन बस्ती, कुम्हेर गेट, भरतपुर जो कि गलत संगत में पड गया है तथा मेरा व मेरे परिवारीजनों का कोई कहना नहीं मानता है तथा आये दिन मुझसे व मेरे परिवारीजनों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। इसकी उक्त हरकतों से काफी तंग व परेशान हो गया हूँ। इस वजह से मैं अपने नाती विशाल को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ भविष्य में यदि मेरा नाती किसी व्यक्ति से कोई लेन देन करता है या कोई लड़ाई झगड़ा करता है या कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। भविष्य में मेरा अपने नाती से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा।

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लाट नम्बर 33 (वेल्ली पार्क साउथ एक्स्यू). वाटिका इन्फोटेक सिटी, अजमेर रोड, जयपुर मे स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 250.03 वर्गमीटर है, यह कि उक्त वर्णित प्लॉट का पट्टा विलेख जेडीए जयपुर द्वारा 27.01.2016 को श्रीमती आशा राजपूत एवं श्री अनिल राजपूत के हित मे जारी किया गया था. श्री अनिल राजपूत का स्वर्गवास 26.04.2022 को हो गया, श्री अनिल राजपूत के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी मे उनकी पत्नि श्रीमती आशा राजपूत, पुत्री रितु राजपूत, पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत उक्त सम्पत्ति मे उनके हिस्से के अपने-अपने अविभाजित हिस्से के मालिक स्वामी व अधिकारी हुए, तत्पश्चात् श्रीमती आशा राजपूत, रितु राजपूत, अर्जुन सिंह राजपूत ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण सम्पत्ति को जरिये विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 24.05.2024 द्वारा श्री राकेश जैन पुत्र श्री सी.एल. जैन को विक्रय कर दिया। इस प्रकार श्री राकेश जैन पुत्र श्री सी.एल. जैन उक्त सम्पत्ति का एकमात्र रूप से मालिक, स्वामी, अधिकारी, काबिज हुआ। अब ओम प्रकाश जाट उक्त सम्पत्ति को क्रय कर रहे है जिस बाबत मेरे अभिभाष्य वित्तीय संस्था HDFC Bank Ltd. से ऋण ले रहे है, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे, अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस मे लिखित मे मय दस्तावेज सूचित करे अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
केदार राम, एडवोकेट, मो.-9460943434, 9799170016

नाम परिवर्तन
मैने विवाहोपरांत अपना नाम नीतू वर्मा से बदलकर नीतू स्वर्णकार कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे नीतू स्वर्णकार के नाम से ही जाना जावे, 25A दीपक कॉलोनी, जयपुर

I, Mohd Kamran Khan, R/o 63A, M.K. Vihar Vistar Colony, Nai Ki Thadi, Ramgarh Road, Lalwas, Jaipur, have changed my name from Mohd Kamran Khan to Mohmmad Kamran Khan for all future purposes.

कार्यालय राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) जयपुर
क्रमांक :- 1356 दिनांक :- 20/08/2025

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा इस मण्डी समिति के मुख्य मण्डी प्रांगण के लिए अवाप्त एवम् मण्डी समिति द्वारा यथा स्थिति में कब्जा प्राप्त खसरा न. 04 की भूमि पर अवार्ड जारी होने व कब्जा प्राप्ति के समय यथास्थिति जारी की गई कब्जेधारियों/अतिक्रमियों के सम्बंध में इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 3674 दिनांक 13.09.2006 द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के संदर्भ में श्रीमान निदेशक महोदय, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा तत्समय प्राप्त स्वीकृति दिनांक 28.06.2008 के द्वारा मण्डी प्रांगण की चार दीवारी पर सीकर रोड़ पर खुलते हुए एवम् पेट्रोल पम्प के पीछे की ओर यथास्थिति में काबिज अतिक्रमियो को काबिज भूमि की मौका नाप अनुसार 100 प्रतिशत डी.एल.सी. दर पर नियमित करने हेतु आदेश जारी किये गये थे। मण्डी समिति द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार से अतिक्रमियों को सूचना देने के पश्चात भी कई अतिक्रमियों/कब्जाधारियों द्वारा आज दिनांक तक भी मण्डी कोष में डी.एल.सी. दर से राशि जमा नही करवाई गई है। एवम् न ही मण्डी समिति से पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि ऐसे शेष अतिक्रमी देय राशि जमा करवाकर पट्टा लेने के इच्छुक नही है। अतः श्रीमान निदेशक महोदय, कृषि विपणन विभाग जयपुर द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति दिनांक 28.06.2008 एवं मण्डी समिति के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 30.04.2025 के क्रम में श्रीमान निदेशक महोदय, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त निर्देश दिनांक 23.07.2025 के क्रम में उक्तानुसार पूर्व सूची में वर्णित निम्नलिखित व्यक्तियों/फर्मों को पुनः सूचित किया जाता है, कि वे मण्डी समिति में शीघ्र अतिशीघ्र भूखण्ड/दुकान संबधि अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत कर मण्डी कोष में उक्तानुसार राशि जमा करावे एवं मण्डी समिति से पट्टा विलेख प्राप्त करे, साथ ही इस सम्बंध में आम खास समस्त नागरिको को भी सूचित किया जाता है कि उक्त सूची में शेष निम्नलिखित काबिज कब्जाधारी अतिक्रमियों को मण्डी समिति द्वारा नियमन किया जाना प्रस्तावित है, यदि इस सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था को इस सूची में अंकित नामों के संबंध में कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में ऐतराज/आपति/उज्र मय साक्ष्य तथा दस्तावेज सहित इस कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, इसके पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

1. श्री अमरचन्द शर्मा/जे.पो.वाच एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स
2. श्री किशोरी शरण अग्रवाल/गोयल एण्ड गोयल
3. श्री किशोरी शरण अग्रवाल/वैशाली इन्फोटेक
4. श्री रामेश्वर/यादव ढावा
5. श्री शान्ति नारायण/पूनम इजिनियरिंग
6. श्री कैलाश अग्रवाल/भगवान स्टील फेब्रीकेटर्स
7. अशरफ/जे.के. इन्जिनियरिंग
8. धामाणी सैल्स कॉरपोरेशन
9. श्री बाबूलाल/स्वामी इन्जिनियरिंग
10. श्री घनश्याम कुमार पुत्र सत्यानारायण/कमल क्लोथ स्टोर
11. श्री जगदीश नारायण जांगिड/बालाजी प्रिन्टर्स
12. श्री माधोसिंह/दिल्ली हरियाणा ट्रांसपोर्ट
13. श्री माधोसिंह/गणपति मेडिकल एण्ड प्रोविजन
14. श्री दिलीप तीर्थानी/शिव ट्रेडिंग कम्पनी
15. श्री यासीन खान कुरैशी/गुडलक टायर रिपेयर
16. श्री रियाज अहमद/सलीम मीट हाउस
17. श्री नजरूद्दीन पुत्र मोहम्मद
18. श्री हनुमान सहाय/श्री वीर एन्टरप्राईजेज
19. श्री बनवारीलाल शर्मा/बी.एन.एन्टरप्राईजेज
20. श्री सीताराम जांगिड़/विनायक इंजिनियरिंग
21. श्री अशोक शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद/बालाजी प्रिन्टर्स
22. श्री बाबूलाल यादव/जनता बैट्री
23. श्री गुलजारी लाल चौधरी/ममता ढ़ाबा
24. श्री सूरजमल कुमावत/बजंरग ट्रेडिग कम्पनी
25. श्री मोहनलाल कुमावत/लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
26. श्री गुलाबचन्द कुमावत/लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी
27. श्री महेश कुमावत/लक्ष्मी सीमेन्ट सप्लाई
28. श्री मदनलाल अग्रवाल/दो बंद दुकान
29. श्री रमेश अग्रवाल/स्टार लाईट स्टील
30. श्री सत्यनारायण वर्मा/अन्नपनूर्णा भंडार
31. श्रीमती मुन्ना देवी यादव/गोविन्द रोडवेज
32. श्री बंशीधर शर्मा/कृष्णा इंजिनियरिंग वर्क्स
33. श्री दिलीप कुमार टांक/गुजरात रेस्टोरेन्ट एण्ड ढ़ाबा
34. श्री देवीदत रूकमानन्द शर्मा/जय दुर्गे फेब्रीकेटर्स (दो दुकान)
35. श्रीमती ग्यारसी देवी सोनी/एस.एस.ऑटो पार्टस
36. श्री चन्द्रशेखर शर्मा/स्नेहा रोड लाईन्स
37. श्री चन्द्रमोहन शर्मा/ग्रीन रोडवेज
38. श्री जितेन्द्र शर्मा/राहुल गोल्डन
39. श्री बृजकिशोर कुमावत/शिव वैज्ञानिक कांटा
40. श्री बसंल एन्टरप्राईजेज रोड न. 09 के सामने
41. श्री मदनलाल पुत्र श्री रूडमल, दुकान नं. 16 रोड न. 09 के सामने
42. श्री मुरारीलाल सिंघल, दुकान न. 15, रोड न. 09 के सामने
43. श्रीमती सुमन कंवर पुत्री श्री हरि सिंह,पेट्रोल पम्प के पीछे
44. श्री नरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री गजानन्द, पेट्रोल पम्प के पीछे
45. श्रीमती भगवान कंवर पुत्री श्री हरि सिंह,पेट्रोल पम्प के पीछे
46. श्री मामराज अग्रवाल
47. श्री हरि सिंह पुत्र श्री माधोसिंह, पेट्रोल पम्प के पीछे
48. श्री केदार अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल
49. श्री रामगोपाल गोलय पुत्र श्री महादेव लाल, पेट्रोल पम्प के पीछे
50. श्री प्रदीप गोयल पुत्र श्री रामगोपाल गोयल, पेट्रोल पम्प के पीछे
51. श्री बृजकिशोर शर्मा रोड न. 02
52. श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा , रोड न0 9

राज.संवाद/सी/25/8518 सचिव प्रशासक

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 11 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
महेश जाजपुरा विरूद्ध आकाश लुहाडिया व अन्य
वाद बाबत CS (CSM)
वाद सं. 54/23

नाम उर्मिला अग्रवाल/सतीश कुमार (जाति) महाजन स्थान 268 गायत्री नगर प्रथम दुर्गापुरा जयपुर

ने आपके विरुद्ध माह के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 28 माह 8 सन् 2025 को दिन में.. 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 5 माह 8 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी करौली (राज.)
क्रमांक:जिसासशिअ/करौली/2025-26/656 दिनांक: 20.8.2025

नीलामी सूचना

कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी में अनुपयोगी सामान की नीलामी दिनांक 03.09.2025 को प्रातः 11:30 स्थानीय कार्यालय में की जानी है अतः इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता निर्धारित अमानत राशि 2000 रूपए जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्तें कार्यालय के अनुसार रहेंगी, जो कि मान्य होगी।

(रामावतार मीना)
जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, करौली

नीलकंठ टीसर्च ट्रेनिंग कॉलेज
सीकर जयपुर रोड़, खीदरसर, जिला झुंझुनूं (राज.)
**श